

06.06.2023:- पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता श्री बलराम भीडासरा
के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया
गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में लिया
निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा
हो गया। इसलिए प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही
नहीं चाहते। प्रार्थन पत्र 212 आर.टी.ए. वर्तमान
स्तर पर खारिज किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता
को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली को
अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी व
अप्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये
गये। प्रार्थी व अप्रार्थी कि पहचान अधिवक्ता श्री
बलराम भीडासरा द्वारा कि गई। प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर
ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपप्रजाधिकारी
हनुमानगढ़

